सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) भारत

शोध अध्यादेश

(अद्यतन संशोधित)

2018

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर विद्या परिषद् की बैठक दिनांक–26.11.2018 के बिन्दु संख्या–03 द्वारा संस्तुत एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक–26.11.2018 के बिन्दु संख्या–02 द्वारा स्वीकृत तथा माननीय कुलाधिपति जी के पत्रांक संख्याः ई–361/27–जी.एस./2018(iii) दिनांक 24 जनवरी 2019 द्वारा अनुमोदित डॉक्टर ऑफ फिलासफी (पी–एच0डी0) अध्यादेश, 2018

कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर विद्या परिषद् की बैठक दिनांक– 26.11.2018 द्वारा संस्तुत एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक– 26.11.2018 द्वारा स्वीकृत डॉक्टर ऑफ फिलासफी (पी–एच0डी0) अध्यादेश, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी–एच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक– 05 मई, 2016 को निर्गत किया गया, जो भारत के राजपत्र संख्या–278 (साप्ताहिक) 05 जुलाई, 2016 में प्रकाशित होने की तिथि से लागू है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या–7/2018/266/सत्तर–1–2018–16(74)/2018 दिनांक 24 अगस्त 2018 के अनुसार 'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम', 1973 की धारा 66(क) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन विश्वविद्यालयों को यथावत् लागू करने हेतु आदेशित किया है। शोध अध्यादेश निर्मात्री समिति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तावित पी–एच0डी0 शोध अध्यादेश निम्नवत् है–

1– लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन–

1.1 इस अध्यादेश को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर शोध अध्यादेश, 2018 (पी–एच0डी0 शोध उपाधि के लिये न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया) कहा जायेगा।

1.2 यह सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर और इससे सम्बद्ध शोध के लिए अर्ह स्नातकोत्तर महाविद्यालयों पर लागू होगा।

1.3 यह अध्यादेश विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा पारित होने की तिथि से लागू माना जायेगा।

2– पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता–

डॉक्टर ऑफ फिलासफी (पी–एच0डी0) की उपाधि के लिये प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः संबंधित विषय में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर की परास्नातक की उपाधि/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान की समतुल्य उपाधि धारित करनी होगी।

तथापि शोध उपाधि समिति समतुल्य विषय में परास्नातक उपाधि धारक को भी पी–एच0डी0 हेतु अर्ह स्वीकार करेगी जिनकी यू0जी0सी0/ सी0एस0आई0आर0/ आई0सी0ए0आर0 द्वारा एक ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होती है।

3– पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड–

पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शोध पात्रता परीक्षा (Research Eligibility Test) का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आगे की कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी शोध पंजीकरण हेतु कुलसचिव द्वारा निर्गत शोध पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण–पत्र पर अंकित तिथि से दो वर्ष तक प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

शोध पात्रता परीक्षा दो भागों (लिखित एवं साक्षात्कार) में होगी। प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित बहुविकल्पीय तथा द्वितीय भाग साक्षात्कार का होगा। परीक्षा का पूर्णांक 200 अंकों का होगा, जिसमें लिखित परीक्षा 140 तथा साक्षात्कार 60 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले ही साक्षात्कार के लिए अर्ह होंगे, लेकिन एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 नानक्रीमीलेयर/दिव्यांग को 05 प्रतिशत की छूट होगी।

शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की अंतिम श्रेष्ठता सूची का निर्धारण सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों से योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों द्वारा शोध पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक में उसका 5 प्रतिशत अधिभार जोड़ कर किया जायेगा। वरीयता क्रम के आधार पर अभ्यर्थी विषय से सम्बन्धित शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee) द्वारा नियुक्त शिक्षक के सम्मुख प्रस्तुत होंगे और पंजीकरण की मानकों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण करेंगे।

3.1 शोध पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हतायें निम्नवत् होंगी–

अ) सामान्य वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग (लाभान्वित श्रेणी) (क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रदायी परास्नातक परीक्षा अनिवार्य रुप से 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण करना होगा, परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर लाभान्वित श्रेणी, नान क्रीमीलेयर)/ पृथक रुप से निशक्त श्रेणियों से सम्बद्ध हैं अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अथवा जिन्होंने दिनांक 19 सितम्बर 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की है, के लिए 55% से 50% अकों तक अर्थात् अकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55% अर्हता अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिन्दु मानक पर समकक्ष ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% अकों की छूट केवल अर्ह अकों के आधार पर ही अनुमेय है, जिसमें रियायती अंक शामिल नहीं है।

ब) अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर लागू नियमों के अनुसार प्राप्तांक से उत्तीर्ण होना चाहिए।

स) परास्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी भी शोध पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, किन्तु शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण कर अपेक्षित अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा।

3.2 यू0जी0सी0/सी0एस0आई0आर0/आई0सी0ए0आर0 द्वारा चयनित जे0आर0एफ0/नेट, गेट (above75percentile) यू0पी0स्लेट एवं एम0फिल0 उत्तीर्ण, अभ्यर्थी भी शोध पात्रता लिखित परीक्षा से मुक्त होंगे। इनका चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर होगा।

3.3 जो शिक्षक अध्येतावृत्ति धारक है अथवा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर और इससे सम्बद्ध/सम्युक्त/संघटक महाविद्यालयों के नियमित अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित शिक्षक शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे। विदेशी छात्र/प्रवासी भारतीय भी शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे।

3.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों के नियमित शिक्षक जो अपने दूतावास/उच्चायोग द्वारा संस्तुत किये गये हों एवं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रतिरक्षा कर्मी/अधिकारी शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे।

3.5 शोध पात्रता परीक्षा से सम्बन्धित विषयों की लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों का प्रवेश साक्षात्कार में उनके समग्र प्रदर्शन और उसके अंकों को 200 पर स्केल (शोध पात्रता परीक्षा का पूर्णांक) करने के उपरान्त तथा इसके पश्चात प्रत्येक विषय में शोध पात्रता परीक्षा में सम्मिलित तथा इससे छूट पाएं सभी अभ्यर्थियों की संयुक्त श्रेष्ठता सूची, वरीयता क्रम से प्रवेश को सुगम बनाने हेतु तैयार की जाएगी।

3.6 विश्वविद्यालयों के शिक्षक/प्रवासी भारतीय के शुल्क का प्रारूप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर की वित्त समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3.7 प्रत्येक विषय में शोध पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर का होगा, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जायेगा तथापि विश्वविद्यालय समय–समय पर अन्य मानक तय कर सकता है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा शासन के आदेश व शर्तों के अनुरूप हो।

3.8 ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान के एम0फिल0 उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थान से है, जो किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

4– पाठ्यक्रम की अवधि–

4.1 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष तथा अधिकतम् अवधि छः वर्ष की होगी, जिसमें प्री0 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्य भी सम्मिलित होगा। तीन वर्ष पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को एक माह के अन्तर्गत पुनः पंजीकरण का आवेदन देना होगा। शोध की कुल अवधि किसी भी दशा में छः वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4.2 महिला अभ्यर्थी तथा दिव्यांग जन (जिनकी अशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है) को पी–एच0डी0 के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को शोध उपाधि समिति की संस्तुति पर पी–एच0डी0 की समग्र अवधि में केवल एक बार 240 दिनों तक मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

5– प्रवेश हेतु प्रक्रिया :

विश्वविद्यालय में वार्षिक आधार पर पूर्व निर्धारित रिक्त सीटों पर पी–एच0डी0 शोधार्थियों को प्रवेश, प्रत्येक वर्ष आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जायेगा जो उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाओं पर निर्भर करेगा। इसमें प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा अन्य ऐसी सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्ड का ध्यान रखा जायेगा।

5.1 प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषयवार विवरण, प्रवेश के मानदण्ड एवं प्रक्रिया तथा अन्य संगत सूचनाएं अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा तथा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पहले ही प्रकाशित किया जायेगा, जिनमें एक समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा का हो सकता है। अपलोड की गयी तथा प्रकाशित शोध रिक्तियों की संख्या अनंतिम होगी, जिसमें वृद्धि या कमी हो सकती है।

5.2 प्रवेश प्रक्रिया में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथावत अनुपालन किया जायेगा।

5.3 प्रवेश प्रक्रिया में समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य सम्बन्धित साविधिक निकायों द्वारा शोध के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा–निर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए सम्पन्न की जायेंगे।

5.4 शोध पात्रता परीक्षा दो चरणों (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) में सम्पन्न होगी, जिसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा 140 अकों की तथा साक्षात्कार 60 अंक का होगा। लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार हेतु अर्ह होंगे, लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर)/दिव्यांग (निःशक्त 40 प्रतिशत या अधिक) अभ्यर्थियों को इसमें 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

यू0जी0सी0 (पी–एच0डी0 डिग्री प्राप्त करने हेतु न्यूनतम मापडण्ड एवं प्रक्रिया) (प्रथम संशोधन) विनियम 2018 दिनांक 27 अगस्त 2018 के प्रावधानों के अनुसार ''यदि उपर्युक्त छूट के उपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर)/निःशक्त श्रेणियों के लिए आवंटित सीटें खाली रह जाती है तो सम्बन्धित विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के समाप्त हो जाने के एक माह के भीतर उस विशिष्ट श्रेणी के लिए विशेष प्रवेश अभियान चलायेगा तथा अपनी स्वयं की प्रक्रिया के साथ ही अर्हता शर्ते तैयार करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन श्रेणियों में से अधिकांश सीटें भरी जा सके।''

5.5 लिखित परीक्षा तीन घण्टे की अवधि की होगी जिसमें 70 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। जिसमें 35 प्रश्न शोध पद्धति एवं शेष 35 प्रश्न विषय से सम्बन्धित होंगे। लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

5.6 प्रवेश परीक्षा पहले से ही अधिसूचित केन्द्र में आयोजित की जायेगी। इन केन्द्र और तिथि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना समय के पूर्व ही अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी।

5.7 लिखित परीक्षा के उपरान्त प्रत्येक विषय की शोध सलाहकार समिति द्वारा अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सम्पन्न किया जायेगा। साक्षात्कार में सम्मिलित न होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शोध रुचि/क्षेत्र पर समिति के सदस्यों से समुचित विचार विमर्श करें।

5.8 शोध सलाहकार समिति साक्षात्कार में सम्मिलित शोध अभ्यर्थियों का मूल्यांकन साक्षात्कार हेतु निर्धारित 60 अंक में करके, उनके प्राप्तांक को समन्वयक, शोध पात्रता परीक्षा को प्रेषित करेगी।

साक्षात्कार के समय शोध सलाहकार समिति को निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श करना होगा–

अ) क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिये क्षमता है?

ब) क्या प्रस्तावित शोध कार्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सुगमतापूर्वक किया जा सकता है?

स) क्या प्रस्तावित शोध क्षेत्र द्वारा विषय में नवीन/अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त हो सकता है?

5.9 लिखित एवं साक्षात्कार के संयुक्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची विषयवार वरीयता क्रम में प्रकाशित की जाएगी।

5.10 शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण–

1. विश्वविद्यालय विषयवार शोध पर्यवेक्षकों की सूची जारी करेगा।
2. विश्वविद्यालय विषयवार प्रत्येक पर्यवेक्षकों के अधीन रिक्त सीटों की सूची जारी करेगा।
3. चयनित शोधार्थी सम्बंधित शोध पर्यवेक्षक की सहमति पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
4. सहमति पत्र के आधार पर समिति शोध छात्र को प्री पी–एच0डी0 कोर्स वर्क की अनुमति प्रदान करेगी।

5.11 चयनित अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अपनी योग्यता एवं शोध के निमित्त प्रस्तावित विषय का विवरण देते हुए शोध संक्षेपिका एवं प्री0 पी–एच0डी0 शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।

5.12 प्री0 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रय में प्रवेशित छात्र शोध संक्षेपिका में आवश्यक सुधार केवल प्री0 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम की अवधि में कर सकते हैं। पंजीकरण के उपरान्त कोई परिवर्तन/सुधार अनुमन्य नहीं होगा।

5.13 प्री0 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्र ही शोध कार्य के लिए पंजीकृत किये जायेंगे। पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्ताव का शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा पर शोध उपाधि समिति का द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

5.14 प्री0 पी–एच0डी0 के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रख–रखाव विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वार्षिक आधार पर किया जायेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक का नाम तथा नामांकन की तिथि आदि सम्मिलित होगा।

5.15 शोध पात्रता परीक्षा उतीर्ण करने का यह तात्पर्य नहीं कि अभ्यर्थी को शोध पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जायेगा। विश्वविद्यालय को शोध पर्यवेक्षक की अनुउपलब्धता सहित अन्य कारणों से किसी भी शोध कार्यक्रम में प्रवेश स्थगित करने/रखने का अधिकार होगा।

6– शुल्क– प्री0 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम तथा शोध पाठ्यक्रम का शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार देय होगा।

6.1 प्री0 पी–एच0डी0 शुल्क (कोर्स शुल्क) 20000.00 तथा पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर), अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं दृष्टि बाधित एवं दिव्यांगों (40 प्रतिशत निशक्तता) के लिए 50 प्रतिशत 10000.00 देय होगा।

6.2 **पी–एच0डी0 शुल्क (छः माह हेतु) –**

प्रायोगिक विषय		**अप्रायोगिक विषय**	
विकास शुल्क	100	विकास शुल्क	100
यूनियन शुल्क	50	यूनियन शुल्क	50
पत्रिका शुल्क	50	पत्रिका शुल्क	50
डेलीगेसी शुल्क	50	डेलीगेसी शुल्क	50
परिचय पत्र	50	परिचय पत्र	50
क्रीड़ा शुल्क	50	क्रीड़ा शुल्क	50
पुस्तकालय शुल्क	150	पुस्तकालय शुल्क	150
निर्धन छात्र सहायक शुल्क	50	निर्धन छात्र सहायक शुल्क	50
काशनमनी	200	काशनमनी	200
साइकिल स्टैण्ड शुल्क	50	साइकिल स्टैण्ड शुल्क	50
कक्षा शुल्क	900	कक्षा शुल्क	900
पंखा शुल्क	50	पंखा शुल्क	50
चुनाव शुल्क	35	चुनाव शुल्क	35
मंहगाई शुल्क	138	मंहगाई शुल्क	138
चिकित्सा शुल्क	22	चिकित्सा शुल्क	22
प्रयोगात्मक शुल्क	500	–	–
योग	**2445**	**योग**	**1945**

7– शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण :

शोध पर्यवेक्षक, सह पर्यवेक्षक हेतु पात्रता मानदण्ड एवं प्रति पर्यवेक्षक अनुमन्य पी–एच0डी0 शोधार्थियों की संख्या आदि :

*7.1 विश्वविद्यालय/सम्बद्ध राजकीय या अनुदानित महाविद्यालय जहाँ स्नातक/स्नातकोत्तर विभाग है, के नियमित पूर्णकालिक शिक्षक, जिन्होंने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण कर ली हो` ऐसे पूर्णकालिक शिक्षकों जिन्होंने किसी सदंर्भित पत्रिका में कम से कम पाँच शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हो और जो पी–एच0डी0 उपाधि धारक हो, उन्हें शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि उन क्षेत्रों विधाओं में जहाँ कोई भी सदंर्भित पत्रिका नहीं हों अथवा केवल सीमित सस्था में सदंर्भित पत्रिका हो तो विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को शोध पर्यवक्षेक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण बताते हुए छूट प्रदान कर सकता है।

7.2 विश्वविद्यालय परिसर एवं स्नातकोत्तर विभाग, (सहयुक्त/समतुल्य विभाग) वाले अनुदानित महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है, ***तथापि विश्वविद्यालय के अन्य विभागों अथवा सम्बद्ध संस्थानों/महाविद्यालयों के अन्तर्विषयी क्षेत्रों में जहाँ विषय समतुल्य है, के शिक्षकों को पर्यवेक्षक बनाने की अनुमति प्रदान की जायेगी जिनकी एक ही शिक्षक पात्रता परीक्षा यू0जी0सी0 द्वारा आयोजित होती है यदि उस महाविद्यालय किसी एक समतुल्य विषय में स्नातकोत्तर है।***

7.3 ऐसे शोध शीर्षक हेतु जो अन्तर्विषयी/समतुल्य स्वरूप के हैं, जहाँ सम्बन्धित विभाग/संकाय अनुभव करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध–पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा तथा अन्य विभाग से एक सह–पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जायेगी जिसकी अनुमति सम्बन्धित संस्थान/महाविद्यालय आपसी सहमति के आधार पर प्रदान करेंगे।

7.4 किसी एक अवधि में कोई शोध निर्देशक/सह–निर्देशक जो आचार्य पद पर नियुक्त है, अधिकतम आठ जबकि सह–आचार्य छः एवं सहायक आचार्य अधिकतम चार पी–एच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। शोध छात्र की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर शोध पर्यवेक्षक के निर्देशन में स्थान रिक्त माना जायेगा।

7.5 विवाह अथवा अन्य किसी कारण से किसी पी–एच0डी0 कर रही महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान जहाँ महिला शोधार्थी जाना चाहे, में अन्तरित करने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि उस विश्वविद्यालय/संस्थान में इन विनियमों के अन्य सभी निबन्धनों एवं शर्तों का शब्दशः पालन किया जाय तथा सम्बन्धित शोध कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेन्सी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि शोधार्थी मूल संस्थान को मार्गदर्शन एवं शोध कार्य में पूर्व में किये गये योगदान के लिए पूर्ण श्रेय देगा।

8– पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य :

8.1 प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक शोध अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम एक सेमेस्टर की अवधि तक पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) करना होगा (सम्बन्धित विभाग, विषय एवं शोध केन्द्र का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा)। यह पाठ्यक्रम कार्य पी–एच0डी0 की पूर्व तैयारी माना जायेगा, जिसमें शोध प्रविधि का पाठ्यक्रम होगा, तथा सम्बन्धित चयनित शोध क्षेत्र में किये गये शोध प्रकाशनों की समीक्षा भी सम्मिलित होगी। प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम कार्य का प्रारूप निम्नवत् होगा–

(1) इस पाठ्यक्रम में दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रथम प्रश्नपत्र शोध प्रविधि का 100 अंकों/05 क्रेडिट का होगा, जिसमें सम्बन्धित विषय की गुणात्मक एव परिमाणात्मक विधियों उपागमों, क्षेत्र–अध्ययन, सूचनाओं के सकलन एवं विश्लेषण, साहित्य समीक्षा एवं रिपोर्ट राइटिंग का कार्य सम्मिलित होगा।

(2) द्वितीय प्रश्नपत्र कम्प्यूटर अनुप्रयोग का 100 अंकों का होगा, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में आधारभूत ज्ञान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायेगा।

***स्नातकोत्तर के पूर्व 'स्नातक' एवं अन्य परिवर्तन शासनादेश–2337/सत्तर–5– 2021–11/ 2021 दिनांक 05.09.2021 के अनुपालन में।**

8.2 विभिन्न विषयों में शोध प्राविधि एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग के पाठ्यक्रम का निर्माण सम्बन्धित विभाग की पाठ्यक्रम समिति द्वारा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के प्राधिकृत शैक्षणिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त किये जायेगे।

8.3 एम0फिल0 उपाधिधारक अभ्यर्थी जिन्हें विश्वविद्यालय के पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हो गया है अथवा जिन्होंने पहले ही एम0फिल0 में पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें विभाग द्वारा पूर्व पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों के प्रकरण में प्राप्त निम्नलिखित विधिक अभिमत को समाहित किया जाता है–

"If the candidate has completed his/her Pre Ph.D Course Work recognised by any Institution/University and there after transferred to any other such University shall not be required to complete his/her Pre Ph.D. Course Work again provided both Institution/University, where the candidate was already enrolled and where the candidate is transferred are recognised by the University Grants Commission (UGC)."

8.4 प्रत्येक अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से निर्धारित अवधि तक पूर्ण करना होगा, जिसमें उसकी उपस्थिति किसी भी दशा में 75 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

8.5 पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा संकायाध्यक्ष के अथवा विशेष परिस्थिति में कुलपति द्वारा नामित अधिकारी के संयोजकत्व में सम्बन्धित संकाय के सभी विभागों के स्तर पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। सम्बन्धित विषयों में उपलब्ध फैकल्टी की विशेषज्ञता के आधार पर आन्तरिक/बाह्य मूल्यांकन के उपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत होगा।

8.6 पाठ्यक्रम के अन्तिम चरण में अभ्यर्थी शोध सलाहकार समिति द्वारा निर्दिष्ट विषय/शीर्षक पर पर्यवेक्षक की सहायता से अपना शोध प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसे प्री0 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पंजीकरण हेतु शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा पर शोध उपाधि समिति को अनुमोदन के लिए जा सके।

8.7 यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व प्री0 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम की परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे अगली परीक्षा में रूपयें 5100/– शुल्क जमा करने के साथ सम्मिलित होने का एक अवसर और प्राप्त होगा। इसमें भी असफल हो जाने पर उसे कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

8.8 परीक्षा से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के मुद्रण, परिसीमन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा करायी जायेगी।

9– शोध सलाहकार समिति, शोध उपाधि समिति एवं इसके प्रकार्य–

9.1 **शोध सलाहकार समिति** (R.A.C.): प्री0 पी–एच0डी0 अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं प्री0 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु एक शोध सलाहकार समिति होगी।

शोध सलाहकार समिति का गठन निम्नवत होगा–

अ. विश्वविद्यालय में संचालित पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष इसके संयोजक एवं सभी शोध पर्यवेक्षक इसके सदस्य होंगे।

ब. महाविद्यालयों हेतु सम्बन्धित संकायाध्यक्ष संयोजक, सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम समिति के संयोजक एवं शोधार्थियों के पर्यवेक्षक इसके सदस्य होंगे।

इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे–

1. शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अन्तिम रूप देना।
2. शोधार्थी को अध्ययन ढ़ाँचा तथा पद्धति को विकसित करने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किये जाने वाले पाठ्यक्रम की पहचान कराना।
3. शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

9.2 **शोध उपाधि समिति** (R.D.C.) :

विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषय हेतु एक शोध उपाधि समिति होगी जिसका गठन निम्नवत होगा।

अध्यक्ष	–	कुलपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति
संयोजक सदस्य (विश्वविद्यालय विभाग हेतु)	–	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
संयोजक सदस्य (महाविद्यालयों हेतु)	–	संकायों के संकायाध्यक्ष
सदस्य	–	सम्बंधित विषय के पाठ्यक्रम समिति के संयोजक
	–	कुलपति द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ (तीन वर्षों के लिये)

कुलपति किसी ख्यातिलब्ध व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकते है मीटिंग के कोरम हेतु एक वाहय सदस्य का होना अनिवार्य होगा।

शोध उपाधि समिति के कार्य –

अ. समिति शोधार्थियों के पंजीकरण, तथा शोध कार्य के मूल्यांकन की व्यवस्था करेगी।

ब. शोधार्थी अनिवार्य रूप से हर छः माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष अपने द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के सन्दर्भ में एक प्रस्तुति देगा। शोध सलाहकार समिति, प्रत्येक शोध छात्र की छमाही प्रगति आख्या सम्बन्धित अधिष्ठाता को प्रेषित करेगी तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भी प्रदान की जायेगी।

स. यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो शोध सलाहकार समिति इसका कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझायेगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को विशिष्ट कारण दर्ज करते हुए निरस्त करने की अनुशंसा संकायाध्यक्ष के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति को कर सकती है।

10– शोध उपाधि मूल्यांकन एवं तत्सम्बन्धी मानदण्ड–

10.1 शोध प्रबन्ध को जमा करने से पूर्व शोधार्थी सम्बन्धित विषय की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा, जिसमें विभाग के सभी शिक्षक एवं शोधार्थियों की उपस्थिति अपेक्षित होगी। इसमें प्राप्त टिप्पणियों, संशोधनों एवं सुझावों को शोध पर्यवेक्षक के निर्देश एवं शोध सलाहकार समिति की सलाह पर शोध प्रबन्ध में यथास्थान सम्मिलित किया जायेगा। निर्देशक को इस आशय का प्रमाण–पत्र भी देना होगा।

10.2 शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व पी–एच0डी0 शोधार्थी सन्दर्भित पत्रिका अथवा जहाँ प्रभाव कारक (इम्पैक्ट फैक्टर) युक्त संदर्भित पत्रिका नहीं है, वहाँ ISSN युक्त पत्रिका में न्यूनतम एक शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित करायेगा तथा सम्बन्धित विषय के सम्मेलनों, सगोष्ठियों में सहभागिता के साथ न्यूनतम दो शोध पत्र प्रस्तुत भी करेगा। प्रकाशित शोध पत्र की छायाप्रति एवं शोध–पत्र प्रस्तुतीकरण का प्रमाण पत्र भी शोध प्रबन्ध के अन्त में सम्मिलित किया जायेगा।

10.3 शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी अपने कार्य की मौलिकता के प्रमाणन हेतु एक घोषणा–पत्र तथा निर्देशक द्वारा निर्गत एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जायेगा कि प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गयी है तथा यह शोध कार्य अपने विश्वविद्यालय, किसी विभाग अथवा अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान में किसी भी अन्य उपाधि या डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10.4 सामान्यतया अभ्यर्थी के इस आवेदन पर कि सम्भावित है कि वह अपना शोध प्रबन्ध छः माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर देगा, उसका निर्देशक, पाठ्यक्रम समिति के समक्ष

प्रस्तुत करने हेतु विभागाध्यक्ष/सम्बंधित विषय के संयोजक को शोध–प्रबन्ध के परीक्षण के लिये छः परीक्षकों का एक पैनल प्रस्तावित करेगा, जिसमें निर्देशक/सह–निर्देशक के नाम के अतिरिक्त पाँच नाम विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों से उन बाह्य परीक्षकों के होंगे, जिनका पद आचार्य या सह आचार्य से कम का न हो अथवा जो सम्बन्धित विषय के ख्यातिलब्ध व्यक्ति हो। इनमें से किन्हीं दो परीक्षकों में एक अनिवार्यतः राज्य के बाहर का तथा एक परीक्षक देश के बाहर का भी हो सकता है। केवल उन्हीं बाह्य परीक्षकों के नाम संस्तुत किये जायेंगे, जिन्होंने सम्बन्धित शोध क्षेत्र में कार्य किया हो और/अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में शोध पर्यवेक्षण किया हो।

10.5 निर्देशक के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पाठ्यक्रम समिति/शोध उपाधि समिति/परीक्षा समिति के अध्यक्ष कुलपति के समक्ष परीक्षकों का पैनल प्रस्तुत करेंगी। कुलपति तीन परीक्षकों की नियुक्त करेंगे, जिसमें एक परीक्षक, शोध पर्यवेक्षक होगा। यदि किसी दशा में कोई परीक्षक शोध–प्रबन्ध का मूल्यांकन नहीं कर पाता है अथवा मौखिक परीक्षा में परीक्षक अभ्यर्थी का परीक्षण नहीं कर सकता है तो उसी पैनल से दूसरे परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

10.6 शोध प्रबन्ध पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी निर्देशक एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/संस्था के प्राचार्य के माध्यम से शोध–प्रबन्ध की चार मुद्रित/टंकित प्रतियाँ विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग में निर्देशक के इस आशय के प्रमाण–पत्र के साथ जमा करेगा कि यह शोध कार्य उसके निर्देशन में सम्पन्न हुआ है और यह शोधार्थी के स्वयं का मौलिक कार्य है और उसने अध्यादेश में वर्णित निर्धारित अवधि तक शोध कार्य किया है। शोध प्रबन्ध का मुद्रण/टंकण दोनों पृष्ठों पर किया जायेगा। शोध–प्रबन्ध के साथ ही इसकी दो साफ्ट कॉपी दो कम्पैक्ट डिस्क (सी0डी0/पेन ड्राइव) में भी जमा की जायेगी।

10.7 विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से सम्बन्धित शोध प्रबन्धों के बाह्य आवरण का रंग निम्नवत् निर्धारित है–

1.	कला संकाय	–	मैरून
2.	विज्ञान संकाय	–	नीला
3.	वाणिजय संकाय	–	पीला
4.	शिक्षा संकाय	–	गुलाबी
5.	विधि संकाय	–	काला
6.	औषधि संकाय	–	श्वेत
7.	कृषि संकाय	–	हरा

10.8 शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन करने वाले परीक्षक अपनी आख्या अलग–अलग प्रस्तुत करेंगे। अपनी आख्या देने से पूर्व परीक्षक एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। शोध आख्या लिखने के पूर्व परीक्षक को सन्तुष्ट होना होगा कि–

1. प्रस्तुत कार्य शोध की ऐसी कृति है, जिसकी विशिष्टता या तो नये तथ्यों का अन्वेषण है अथवा ज्ञात तथ्यों एवं सिद्धान्तों की व्याख्या के प्रति नया उपागम है। शोध प्रबन्ध से अभ्यर्थी में समीक्षात्मक परीक्षण और परिपक्व निर्णय की क्षमता परिलक्षित होती है। परीक्षक को यह बताना आवश्यक होगा कि शोध प्रबन्ध किस प्रकार अभ्यर्थी के स्वयं के अवलोकन को समाहित करती है तथा किस दृष्टि से वह अनुसंधान विषय में ज्ञान की वृद्धि करता है। उसे साहित्यिक प्रस्तुति के स्तर के मानक के अनुरूप एवं संतोषजनक होने के साथ प्रकाशन के योग्य स्वरूप में होना चाहिए।
2. शोध प्रबन्ध की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु परीक्षक ऐसे सुझाव दे सकते हैं जो उनकी दृष्टि में उपयुक्त हो। शोधार्थी को ऐसे सुझाव मौखिक–परीक्षा के समय परीक्षक द्वारा प्रदान किये जायेंगे, जिससे उन्हें शोध–प्रबन्ध के प्रकाशन के समय सम्मिलित किया जा सके।

3. किसी एक बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन आख्या असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश न किये जाने पर कुलपति परीक्षकों के पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध–प्रबन्ध के परीक्षण हेतु नियुक्त करेंगे। यदि नये परीक्षक की आख्या भी असंतोषजनक हो तो शोध–प्रबन्ध को अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा शोधार्थी को पी0एच0डी0 उपाधि हेतु अपात्र/अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

10.9 परीक्षक शोध–प्रबन्ध मूल्यांकित करने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे कि शोध–प्रबन्ध को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाय अथवा अभ्यर्थी को इस बात की अनुमति प्रदान की जाय कि वह अपने शोध–प्रबन्ध को पुनः संशोधित रूप में प्रस्तुत करें। यदि सभी परीक्षक अलग–अलग यह आख्या देते हैं कि शोध प्रबन्ध संतोषप्रद है तो शोध उपाधि समिति (R.D.C.) के निर्देश पर कुलसचिव अभ्यर्थी की मौखिकी परीक्षा की व्यवस्था करेंगे।

10.10 मौखिक परीक्षा के परीक्षक अपनी आख्या में स्पष्ट उल्लिखित करेंगे–

1. यह कि शोध प्रबन्ध सही अर्थों में अभ्यर्थी की कृति है।
2. यह कि अभ्यर्थी विषय से सम्बन्धित साहित्य से परिचित है।
3. यह कि अभ्यर्थी में समीक्षात्मक परीक्षण और विमर्श की क्षमता परिलक्षित होती है।

10.11 शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित आख्यायें और मौखिक परीक्षाओं की आख्यायें शोध उपाधि समिति के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

10.12 शोध–प्रबन्ध के प्रकाशित होने पर अभ्यर्थी को मुखपृष्ठ पर यह उल्लेख करना होगा कि यह शोध प्रबन्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर की अमुक विषय की पी–एच0डी0 उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया है।

10.13 विश्वविद्यालय शोध–प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु ऐसी पद्धति विकसित करेगा, जिसमें शोध प्रबन्ध जमा होने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय।

11– पी–एच0डी0 पाठ्यक्रमों हेतु महाविद्यालयों में आवश्यक शैक्षणिक अवसंरचनात्मक सुविधायें–

11.1 उन्हीं वित्तपोषित स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालयों/अनुदानित महाविद्यालयों को पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु पात्र माना जायेगा जो यू0जी0सी0 विनियमों के अनुरूप शोध पर्यवेक्षकों की उपलब्धता, अपेक्षित अवसंरचना एवं सहायक प्रशासनिक एवं शोध सम्वर्धन सुविधाओं से युक्त हों।

11.2 ऐसे महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों, भारत सरकार/राज्य सरकार की शोध प्रयोगशालाओं में अपेक्षित अधोसंरचना, सहायक प्रशासनिक एवं शोध को संवर्धन प्रदान करने वाली सुविधाओं के साथ–साथ सम्बन्धित विभाग में कम से कम दो पी–एच0डी0 धारक शिक्षक/वैज्ञानिक/अन्य शैक्षणिक स्टाफ होने चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सम्बन्धित संस्थानों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित शोधप्रयोगशालाएं जिनमें प्रति शोधार्थी हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो, साथ ही कम्प्यूटर सुविधाएं तथा अनिवार्य साफ्टवेयर तथा अबाधित विद्युत एवं जलापूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए।

11.3 नवीनतम पुस्तकों सहित चिन्हित ग्रन्थालय संसाधन, भारतीय तथा अन्तरराष्ट्रीय जर्नल, ई–जर्नल, सभी विधाओं हेतु विस्तारित कार्य घंटे, विभाग/ग्रन्थालय में शोधार्थियों हेतु पठन, लेखन हेतु पर्याप्त स्थान, अध्ययन तथा शोध सामग्री के भण्डारण की व्यवस्था संस्थान/महाविद्यालय में होनी चाहिए।

12– विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा। अंशकालिक आधार पर भी पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम संचालित नहीं होगा।

13– इन्फलिबनेट के साथ डिपोजिटरी :

13.1 पी–एच0डी0 उपाधियों को अवार्ड करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् तथा पी–एच0डी0 उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व सम्बद्ध संस्थान पी–एच0डी0 शोध प्रबन्ध की एक इलेक्ट्रानिक प्रति इन्फलिबनेट के पास प्रदर्शित करने के लिए जमा करेंगे, जिससे सभी संस्थानों/महाविद्यालयों तक इनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

13.2 पीएच0डी0 उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व उपाधि प्रदान करने वाला संस्थान इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण पत्र देगा कि उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गयी है।

नोटः– अध्यादेश या नियमावली में किसी प्रकार के संदेह या विवाद के स्थिति में विद्या परिषद् के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।